From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ईसाक बनाम अकबर वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 10 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 09.02.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2/555/1.26है0 वाके ग्राम मुरादबास तहसील तिजारा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यों न उक्त आदेश तापैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पां0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

10/5 [illegible] 19/12/25 [illegible]

19/12/25

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

अब पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 12/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर (राज०)

प्रक०-.........10/2024.......

धारा-.........................

1/3/24
आज पत्रावली पेश हुई।......प्रार्थी प्रार्थि...........
उपस्थित ... के साथ दिनांक
28/5/24 ...

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

28/5/24 आज पत्रावली पेश हुई।.....प्रा०...
उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक
...30/7/24...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

30/7/24 आज पत्रावली पेश हुई।..........प्रा०...
उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक
09/9/24.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

09/9/24
आज पत्रावली पेश हुई।......प्रा०...........
उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक
16/12/24.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

16/12/24
आज पत्रावली पेश हुई. प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूलवाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज होने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली बाद निर्णय तामील नम्बर से होकर संलग्न मूलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)